

विज्ञापितः

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विगत वर्षों की भाँति दिनांक 07-03-2020 को अपराह्न: 02-00 बजे से 05-00 बजे तक जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से कलक्ट्रेट परिसर मेरठ में आयोजित होने वाले, साम्प्रदायिक सौहार्द के प्रतीक होली मिलन कार्यक्रम हेतु गुँजिया, भठरी, नमकपारे, खस्ता कचौरी, समोसे, मिक्स पकौड़े आलू, पालक, गोभी, आलू रोल, टंडाई, जलजीरा बूँदी का, कॉफी, पानी वेटर/सर्विस काकरी, हर्बल गुलाल(अच्छी कम्पनी का) तथा बाजे व खुशबूदार फूल आदि की लगभग 1500 व्यक्तियों की व्यवस्था उक्त कार्यक्रम में टैन्ट व फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु दिनांक 02-03-2020 को अपराह्न: 12-00 बजे तक नजारात अनुभाग कलक्ट्रेट मेरठ में निविदाएँ/कोटेशन आमंत्रित की जाती है। निविदायें/कोटेशन प्राप्त होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उसी दिन अपराह्न 1.00 बजे प्राप्त निविदायें/कोटेशन समिति के समक्ष खोली जायेंगी। प्रत्येक निविदा के साथ अंकन 20,000-00 (बीस हजार रूपये) मात्र नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी मेरठ के नाम धरोहर राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। सभी सामान साफ, अच्छा व गुणवत्तापरक होना अनिवार्य है। निविदायें/कोटेशन आमंत्रितकर्ता अधिकारी बिना कारण बताये निविदायें/कोटेशन निरस्त कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिये इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में नजारात अनुभाग कलक्ट्रेट मेरठ में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
नगर मजिस्ट्रेट/
प्रभारी अधिकारी(नजारात)
मेरठ।

कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ।
(नजारात अनुभाग)

संख्या: 229 / नाजिर सदर / 2019-20-होली मिलन

दिनांक: 27 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ।

- 1- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, मेरठ के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मेरठ।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 5- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञापित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 6- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / (वित्त / राजस्व) / (नगर) / (भू0अ0) मेरठ।
- 7- नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ / प्रभारी अधिकारी(नजारात) कलक्ट्रेट मेरठ।
- 8- उप जिलाधिकारी मेरठ / मवाना / सरधना एवं अपर उपजिलाधिकारी मेरठ।
- 9- अपर नगर मजिस्ट्रेट, (सदर) / (सि0ला0) / (ब्रहमपुरी) मेरठ।
- 10- मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ।
- 11- विज्ञापन व्यवस्थापक "अमर उजाला" एवं "दैनिक जागरण" को इस आशय से कि उक्त विज्ञापित न्यूनतम धनराशि पर अपने समाचार पत्र के आज के अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 12- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मेरठ को इस आशय से कि उक्त विज्ञापित meerut.nic.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 13- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम, मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
- 14- तहसीलदार, मेरठ / मवाना / सरधना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
- 15- नाजिर सदर, कलक्ट्रेट मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
- 16- सभी सार्वजनिक कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
नगर मजिस्ट्रेट/
प्रभारी अधिकारी(नजारात)
मेरठ।